Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

No.BCR/BA/Ju/2015/622 Dated: 16.01.2015

प्रतिष्ठा में,

अध्यक्ष / सचिव महोदय
राज्य की समस्त बार संघ

महोदयजी,

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक दिनांक 14.12.2014 को आयोजित की गई, जिसमें बार एसोसियेशन ऑफ राजस्थान रूल्स, 2013 में कुछ कमियों / आपतियों को ध्यान में रखते हुए उक्त रूल्स को वापिस (Withdraw) लिये जाने का निर्णय लिया गया।

साधारण सभा द्वारा नये नियम अर्थात "बार एसोसियेशन ऑफ राजस्थान इलेक्शन रूल्स, 2014" पारित किये गये।

साधारण सभा द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन बार संघो के पदाधिकारियों के चुनाव मार्च 2015 तक नियत है, वे अपने चुनाव 31 मार्च, 2015 तक अपने संविधानानुसार निश्चित रूप से करवा ले।

इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त नये नियमों को बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से अनुमोदन (Approval) प्राप्त होने के पश्चात, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी समिति इन नियमों को लागू करने का निश्चय करेगी। नये नियमों के तहत, यदि किसी बार संघ के पदाधिकारियों के चुनाव दिनांक 1 अप्रेल, 2015 या उसके बाद नियत है, तो उनका पहला चुनाव माह दिसम्बर, 2015 के द्वितीय शुक्रवार को करवाने होंगे। उक्त नियमों के अन्तर्गत एक अधिवक्ता को एक ही बार एसोसियेशन में एक मत देने व चुनाव लड़ने का अधिकार होगा तथा जहां उसका Place of Practice बार कौंसिल के रिकॉर्ड में दर्ज है, वही उसका मत स्थान (Place of Voting) होगा।

अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा द्वारा लिये गये उक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चितता करावें तथा इस संबंध में आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

(राजेन्द्रपाल मलिक)
सचिव
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान